भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2413
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष

2413. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में वर्ष 2025-2026 के दौरान 'खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष' के अंतर्गत वित्तीय सहायता के संवितरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिन्हें पेंशन या एकमुश्त अनुदान सहायता प्राप्त हुई है, की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के दिवंगत एथलीटों के परिवारों को या चिकित्सा उपचार के लिए संवितरित की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस राज्य में निवास करने वाले अनुभवी खिलाड़ियों के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता की कमी को संज्ञान में लिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होने वाले संकटकालीन स्थिति संबंधी दावों की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षण के दौरान घायल हुए खिलाड़ियों को, चिकित्सा उपचार हेतु, प्रशिक्षण, खेल उपकरण खरीदने तथा खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए; आर्थिक बदहाली की स्थिति में रह रहे सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को; आर्थिक बदहाली की स्थिति में रह रहे दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारजनों को; प्रशिक्षकों को चिकित्सा उपचार हेतु; तथा आर्थिक बदहाली की स्थिति में रह रहे

प्रशिक्षकों एवं सहायक खेल पेशेवरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना पूर्णतः मांग आधारित है तथा विधिवत सत्यापन के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों को विचारार्थ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2025-26 तक "खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम" के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रदान की गई/ स्वीकृत वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.gov.in/sites/default/files/PDUNWFS%20list.pdf पर उपलब्ध है। वर्तमान वर्ष 2026-27 के दौरान, आंध्र प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी को चिकित्सा उपचार हेतु अथवा किसी दिवंगत खिलाड़ी के परिवार को कोई वित्तीय सहायता वितरित नहीं की गई है।

उक्त स्कीम का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in/ पर भी उपलब्ध है। सरकार ने खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के समयबद्ध एवं पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता के वितरण हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का कार्यान्वयन तथा आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल (https://dbtyas-sports.gov.in) का विकास, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का समयबद्ध एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित हो सके। इस प्रणाली के अंतर्गत, वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे विलंब समाप्त होता है, प्रशासनिक बाधाएं कम होती हैं तथा यह सुनिश्चित होता है कि लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें।
